

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- 1087-92

दिनांक:- 3.2.2015

परिपत्र


विषय:- अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों में मौताणा/चढ़ोतरा एवं बैर आदि की घटनाओं के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

डी.बी. सिविल रिट(पी.आई.एल.) पिटिशन संख्या 5324/2010 राजस्थान राज्य बनाम शंकर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने उनके आदेश दिनांक 24.09.14 एवं 11.12.14 में अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों में मौताणा/चढ़ोतरा एवं बैर आदि की घटनाओं के प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही को पर्याप्त नहीं माना है एवं अप्रसन्नता व्यक्त की है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम एवं इनसे सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. आदिवासी क्षेत्र में शांति समितियों का गठन किया जावे जिनमें पुरुष महिला को सम्मिलित किया जाये। ये शांति समितियां मौताणा प्रथा की रोकथाम हेतु विचार, गोष्ठी एवं रचनात्मक उपाय करें।
2. पुलिस थानों पर सी.एल.जी. सदस्यों में ग्राम व ढाणियों के प्रभावी लोगो, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समावेश किया जाये तथा सी.एल.जी. की बैठकों में इस विषय पर विशेष चर्चा की जाये।
3. मौताणा कुप्रथा के दुष्परिणामों का प्रचार प्रसार कराया जाये। आदिवासी क्षेत्र में दूरसंचार की उपलब्धता गौण है। इस हेतु सी.एल.जी. मीटिंग व जनसहभागिता की मीटिंगों के दौरान इस प्रथा के दुष्परिणामों की जानकारी इस समाज को दी जाये तथा क्षेत्र के पटवारी, ग्राम सेवक, बीट ऑफिसर, शिक्षक एवं गडा-गमेती (इस समाज का मुखिया) जिनका इन लोगो से सीधा सम्बन्ध होता है, इनको भी शामिल कर इस कुप्रथा को रोकने के लिये प्रचार व प्रसार किया जावे।
4. जिला पुलिस अधीक्षक इस प्रकार की घटनाओं को रोकने एवं घटित घटनाओं के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट से सामंजस्य रखते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही संयुक्त रूप से दोनों अधिकारी इस हेतु गठित सी.एल.जी. सदस्यों को इस सम्बन्ध में स्वयं ब्रिफिंग भी करें।
5. मौताणा/चढ़ोतरा एवं बैर से पीड़ित परिवार भय के कारण कानूनी कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा हरसंभव प्रयास से आपसी समझौता ही करना चाहते हैं। यदि पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही भी की जाती है तो अपने बयानों से मुकर जाते हैं। इस हेतु इन लोगो को कानून व सजा की सही जानकारी कराने के प्रभावी प्रयास सी.एल.जी. के माध्यम से कराने चाहिए।
6. मौताणा/चढ़ोतरा एवं बैर इत्यादि की घटनाए घटित होने पर ऐसे प्रकरणों को तत्काल दर्ज किया जाकर उसका शीघ्र अनुसंधान कर, अन्वेषण का नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे।
7. इन प्रकरणों का अनुसंधान सम्बन्धित वृत्ताधिकारी के सुपरविजन में कराया जावे साथ ही एस.एच.ओ. इसकी सामयिक प्रगति को सुनिश्चित करेंगे।
8. सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक एवं महानिरीक्षक रेंज अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रकरणों की पाक्षिक/मासिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि दर्ज प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में ऐसे प्रकरण घटित होने पर एवं उन पर तत्काल कार्यवाही नहीं होने


की दशा में सम्बन्धित वृत्ताधिकारी एवं एस.एच.ओ. की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जावे।

9. ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि जिन प्रकरणों में नियमानुसार मिलनी चाहिये वह राशि पीड़ित पक्ष को सम्बन्धित विभाग से बिना देरी के दिलाई जावे। जिन प्रकरणों में मौताणे की मांग की जाती है और प्रकरण दर्ज होकर मौताणे की मांग के आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं उन प्रकरणों में सहायता राशि नहीं दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि मौताणा/चढ़ोतरा एवं बैर आदि की घटनाओं पर अंकुश लग सके।
10. इस प्रकार की घटनाएँ घटित होने पर आदिवासी क्षेत्र के समाज में धार्मिक गुरुओं के माध्यम से जागृति एवं कानूनी कार्यवाही में सहयोग हेतु प्रयास कराये जाए।
11. इन प्रकरणों में शव को पक्षकारों द्वारा मौके पर कब्जे में लेकर लम्बे समय तक रखकर कार्यवाही/मौताणा की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में मृतक के शव को अधिक समय तक पक्षकारों के कब्जे में नहीं रहने दिया जाये तथा पहले से एक समय सीमा निर्धारित कर शव के निस्तारण हेतु नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाए।
12. ऐसे प्रकरणों को केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयन कर संधारित किया जाये।


(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, गृह(ग्रुप-13) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या प. 10(1) गृह-13/2014 दिनांक 16.01.15 के क्रम में।
निम्नांकित को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय जी.आर.पी. जयपुर।
5. समस्त उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर
6. समस्त पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।


महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।